

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.22(6) शिक्षा-1/2002 जयपुर दिनांक 19.6.2015 के द्वारा स्टाफिंग पैटर्न-2015 के अनुसरण में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा-मा/माध्य/अ-1/21310/स्टाफिंग पैटर्न/2015 दिनांक 25.06.2015 के द्वारा राउमावि. में शैक्षणिक पदों का पुनर्निर्धारण कर पद सर्जन/प्रत्याहरण के कारण अधिशेष हुए विषय व्याख्याता सिन्धी जो कि आदेशों की प्रतिक्रिया में इस कार्यालय में उपस्थिति दे रहे हैं का पदस्थापन/समायोजन तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है।

क्र.सं	नाम कार्मिक	पूर्व पदस्थापन स्थान	विषय	नव पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि.
1	द्रोपती सिन्धी	रा0 महारानी बालिका उमावि. बीकानेर	सिन्धी	सेठ मुरलीधर मानसिंहका राबाउमावि. भीलवाडा

इन्हें आदेश जारी होने की दिनांक को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक अपनी आगामी उपस्थिति तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर दें।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यामिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/एपीओ पदस्थापन/2018-19/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक-30/07/2019

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिकों के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही संपादित करावें।
6. संबंधित संस्थाप्रधान/संबंधित कार्मिक।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर